

प्रोत्सव,

शिक्षा प्रकाश उपर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदायकेन्द्र,
शांति विहार, नई दिल्ली ।

विद्या 17 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 16 मई, 2005

विषय:-

प्रेसीडेन्सी पब्लिक स्कूल शताब्दीनगर, मेरठ को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

सम्बन्धित विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का संकेत हुआ है कि उक्त संतमित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सीताघटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धिता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिल पार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्सुअरमिन्स नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धिता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 15: संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणत्वा कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16: कर्मचारियों की तथा शर्तों बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17: राज्य सरकार द्वारा उभय-समय पर जा ओं आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19: उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पृ०संख्या एवं दिनांक तैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, प्रेसीडेन्सी पब्लिक स्कूलशताब्दीनगर मेरठ ।
- 6 - गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।